

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20072026-274642
SG-DL-E-20072026-274642असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2026/आषाढ 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 110
No. 186]	DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2026/ASHADHA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 110

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (डीओपी) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

सं. फा. 11/37/गृह —डीओपी/2026/558-570.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी, एतद् द्वारा श्री आशीष दत्त, अधिवक्ता को दिल्ली पुलिस द्वारा के अपने पत्र संख्या 6639—विधिक प्रभाग (एलसी)/पुलिस मुख्यालय/नई दिल्ली के माध्यम से यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर एफआईआर सं० 337/2025 एवं 338/2025 पुलिस स्टेशन अपराध शाखा तथा एफआईआर संख्या 21/2026 पुलिस स्टेशन, पालम गांव तथा एफआईआर संख्या 734/2025 पुलिस स्टेशन कालिन्दी कुंज (दोनों की जांच अपराध शाखा द्वारा की गई) के मामले में 'विशेष लोक अभियोजक' के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	प्रस्तावित भुल्क
1	माननीय परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थिति	रुपये 15,500 /—
2	सम्मेलन	रुपये 10,000 /—
3	प्रारूपण (उत्तर तथा आवेदन)	रुपये 25,000 /—
4	परीक्षण मामले में जमानत संबंधित मामले	रुपये 25,000 /—
5	लिपिकिय	10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल० के० गौतम, उप-सचिव (गृह-डीओपी)

HOME (DOP) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 10th July, 2026

No. F. 11/37/H-DOP/2026/558-570.— In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Ashish Dutta, Advocate as Special Public Prosecutor, in the FIRs No. 337/2025 & 338/2025 P.S. Crime Branch and FIR No. 21/2026, PS Palam Village and FIR No. 734/2025, PS Kalindi Kunj (both investigated by Crime Branch), New Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter No. 6639/Legal Div.(LC)/PHQ/New Delhi.

Sl. No.	Detail of work	Proposed fee
1	Appearance before the Hon'ble Trial Court	Rs. 15,500/-
2	Conference	Rs. 10,000/-
3	Drafting (Replies and Applications)	Rs. 25,000/-
4	Bail Matters at the Trial Court	Rs. 25,000/-
5	Clerkage	@10%.

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in The Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
L.K.GAUTAM, Dy. Secretary (Home-DOP)